डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-41, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

30 अप्रैल 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

औद्योगिक क्रांति : छत्तीसगढ़ बना निवेशकों की पहली पसंद

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुंबई में उद्योग जगत के दिग्गजों ने की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का नया टेक्सटाइल हब

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। मुंबई में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। यह बैठक वस्त्र, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को लेकर निर्णायक साबित हुई। बैठक में साइज़ अप, आईएनबीडी टेक्स, स्विफ्ट मर्चेंडाइज, शाल्बी हॉस्पिटल, ललन ग्रुप, अरैया ग्रुप, प्राइड होटल्स और ग्रीनटेक सोल्युशंस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी साझा की।

परिधान क्षेत्र में

परिधान क्षेत्र में आईएनबीडी टेक्स के निदेशक अजीत कुमार डालमिया ने छत्तीसगढ़ में परिधान इकाइयाँ स्थापित करने की इच्छा जताई। स्विफ्ट मर्चेंडाइज ने वस्त्र उद्योग में विस्तार की योजना साझा की। साइज़ अप कंपनी ने प्लस-साइज परिधान निर्माण यूनिट का प्रस्ताव दिया। ललन ग्रुप के श्री दिलीप पारिक ने धागा व कपड़ा निर्माण में रुचि दिखाई।

स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र में

स्वास्थ्य क्षेत्र में शाल्बी हॉस्पिटल के निदेशक शनाए विक्रम शाह ने नवा रायपुर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की इच्छा जताई। अरैया ग्रुप के श्री अक्षय कुलकर्णी ने लक्जरी पर्यटन और परिवहन परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश की संभावना जताई। प्राइड होटल्स के निदेशक श्री सत्येन जैन ने प्रीमियम आतिथ्य सेवाओं में निवेश की रुचि दिखाई।

इस्पात क्षेत्र में

इस्पात क्षेत्र में ग्रीनटेक सोल्युशंस के निदेशक एम. प्रसाद रेड्डी ने बैठक में राज्य में 1245 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना से 500 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी हरित प्रौद्योगिकी के जरिए लागत प्रभावी और टिकाऊ समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य

"छत्तीसगढ़ निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बन चुका है। हमारी औद्योगिक नीति सरल, पारदर्शी और निवेशकों के लिए लाभकारी है। बिजली, पानी, जमीन, कुशल श्रमिक और बेहतरीन लॉजिस्टिक्स- यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। हम केवल ज़मीन नहीं, सपनों को आकार देने का अवसर देते हैं। राज्य सरकार हर निवेशक को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ आज नीतिगत पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन का प्रतीक है।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं, और इन्हें सशक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस डिजिटल सुविधा के जरिए अब ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का लाभ गांव में ही मिल सकेगा, जिससे उन्हें बैंक या अन्य सरकारी दफ्तरों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए 'मोर गांव मोर पानी महाअभियान' का भी शुभारंभ किया।

साय सरकार की पहल: औद्योगिक विकास को नई उड़ान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रगति और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने 27 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी की है, जिससे न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रमिक कल्याण को भी ठोस आधार मिलेगा।

सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को दी गई पट्टे की भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों के लिए नियमित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की भी अनुमति दी है।

पट्टे की भूमि का लचीला उपयोग

औद्योगिक भूमि का उपयोग केवल उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के लिए ही सीमित था। प्रशासनिक भवन, कैंटीन, या प्रशिक्षण केंद्र जैसी सहायक सुविधाएं स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को कई स्तरों की अनुमति लेनी पड़ती थी। संशोधन के बाद, पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत भाग नियमित कर गैर-औद्योगिक उपयोग में लाया जा सकेगा।

स्थानीय रोजगार को बढ़ावा

यह संशोधन राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक आकर्षक बनाता है, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए। इन नीतियों से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय विकास से नगरीय क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा।

घर का सपना पूरा करने का अवसर

अब औद्योगिक इकाइयां अपने परिसर में या आसपास श्रमिकों के लिए आवासीय कॉलोनियां विकसित कर सकेंगी। इससे दूर-दराज के श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र के पास ही रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी।

ऐतिहासिक निर्णय, भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नामांतरण के लिए तहसीलदार की बजाय पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अधिकार प्राप्त होंगे। इस बदलाव से भूमि क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया त्वरित होगी। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने इसे जनहितैषी निर्णय बताया। यह अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है और सभी जिलों में लागू की जाएगी।

सुशासन की नई क्रांति

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रित, राज्य में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और नवाचार को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप से उभरेंगे नीति-निर्माता युवा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और संकल्प के तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप की शुरुआत की है -एक ऐसा मंच जो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को शासन की बारीकियों से रूबरू कराएगा । मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान के भी नीति-निर्माता हैं। उन्हें प्रशासनिक सोच, सामाजिक सरोकार और तकनीकी दक्षता से सशक्त बनाकर हम छत्तीसगढ़ को सुशासन का आदर्श राज्य बनाएंगे।"

खर्च सरकार वहन करेगी

छत्तीसगढ़ सरकार इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क वहन करेगी। चयनित फेलो को प्रतिमाह 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह प्रशिक्षण IIM रायपुर परिसर में आयोजित होगा, जिसमें अकादमिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार के गहन अनुभव शामिल होंगे।

आवेदन की तिथि और पात्रता

तिथि: फेलोशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से 11 मई 2025 तक खुली है।

पात्रता: छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक।

आयु सीमा: अधिकतम 35 वर्ष।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

- स्नातक डिग्री (60% अंक या आरक्षित वर्ग के लिए 55%)।
- CAT परीक्षा (वर्ष 2022, 2023 या 2024) का वैध स्कोर कार्ड आवश्यक।
- आरक्षण की पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन

- विस्तृत जानकारी और आवेदन हेतु IIM रायपुर की वेबसाइट पर जाएं: https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/
- संपर्क: 0771-2474612

छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम

यह फेलोशिप न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि एक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था की नींव भी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं जो सुशासन में पूरे देश के लिए प्रेरणा बने। हमारे युवा इस बदलाव के वाहक बनें - यही हमारा संकल्प है।"

रिक्रूटमेंट नोटिस

बीपीएससी
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 1722
अंतिम तिथिः 7 मई
https://bpsc.bihar.gov.in/

भारतीय रेलवे
पदः असिस्टेंट लोको पायलट
पद संख्याः 9900
अंतिम तिथिः 9 मई
https://ind ianrailways.gov.in/

यूकेएसएसएससी
पदः ग्रुप सी
पद संख्याः 416
अंतिम तिथिः 15 मई
https://sssc.uk.gov.in/

राजस्थान पुलिस
पदः कॉन्स्टेबल
पद संख्याः 8,148
अंतिम तिथिः 17 मई
recruitment2.rajasthan.gov.in

ASRB NET 2025
पदः ARS सहित अन्य
पद संख्याः 582
अंतिम तिथिः 21 मई 2025
asrb.org.in

एएआई
पदः जूनियर एग्जीक्यूटिव
पद संख्याः 309
अंतिम तिथिः 24 मई
https://www.aai.aero/

महाराष्ट्र बिजली विभाग
पदः लोअर डिवीजन क्लर्क सहित अन्य
पद संख्याः 493
अंतिम तिथिः 2 मई 2025
mahatransco.in

वर्ष-22, अंक-41, रायपुर
रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : विक्रांत
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

रामगढ़ पर्वत (अंबिकापुर) के निचले शिखर पर सीताबेंगरा नाट्यशाला, एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है

कानून, न्याय और विकास में नया अध्याय लिखेगा छत्तीसगढ़

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ की तैयारियों को मिला विशेष उल्लेख

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव के क्षण में छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को राज्य की तैयारियों से अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि न्याय और सुरक्षा की इस नई यात्रा में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहेगा। बैठक में तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद उन्मूलन, बस्तर के विकास और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।

छत्तीसगढ़ बना रोल मॉडल

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रशासनिक व तकनीकी दोनों स्तरों पर पूर्ण तैयारी कर ली है।

- 27 SOPs व दिशा-निर्देश तैयार कर प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं।

- 37,385 पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- न्यायालय, थाना व जेलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर- ई-साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं।
- अब तक 53,981 FIR नए कानूनों के तहत दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुका है।

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार

- कई शीर्ष नक्सली या तो मारे गए, या आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
- बस्तर ओलंपिक, नियद नेलानार योजना, महिला सुरक्षा केंद्र, और होमस्टे पर्यटन योजनाएं जैसे नवाचारों से आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा गया है।
- स्थायी विकास और विश्वास निर्माण पर केंद्रित रणनीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और उन्नति का माहौल बन रहा है।
- हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो। बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावनाओं और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनेगा।

केंद्र का भरोसा, राज्य का संकल्प

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की अब तक की प्रगति की खुले दिल से सराहना की और राज्य से शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की अपेक्षा जताई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा- "यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जनता को सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में हमारा दृढ़ संकल्प है..."

पद्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। ये पुरस्कार साहित्य, संस्कृति, कला सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। योग्य और पात्र व्यक्तियों के नामांकन ऑनलाईन पोर्टल https://awards.gov.in/ के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्ताव 14 जुलाई 2025 तक संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नया रायपुर, भेज सकते हैं।

IIT मद्रास में ग्रेजुएट्स के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती

IIT मद्रास ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार recruit.iitm.ac.in पर 19 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पदों में लाइब्रेरियन, सिक्योरिटी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, रजिस्ट्रार, जूनियर असिस्टेंट आदि शामिल हैं। पात्रता के अनुसार बैचलर, मास्टर या PhD डिग्री और संबंधित अनुभव मांगा गया है। उम्र सीमा 27 से 50 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगा। सामान्य वर्ग के लिए फीस 500 रुपए है, जबकि SC/ST/महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCILTD) ने 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें अपर महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। योग्य उम्मीदवार 12 मई 2025 तक www.cciltd.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में "Careers" सेक्शन में जाकर फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और फॉर्म सबमिट करना शामिल है। तकनीकी, प्रबंधन या इंजीनियरिंग क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।

मनोरोग विशेषज्ञ काउंसलर के लिए आवेदन 27 मई तक

मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मनोरोग की भर्ती के लिए 28 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मनोरोग के कुल 21 पदों पर भर्ती होगी। क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के 12 पद हैं। मनोरोग विशेषज्ञ के 6, काउंसलर मनोरोग के 2 और पैथोलॉजी विशेषज्ञ के लिए एक पद की वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन 27 मई तक भरे जाएंगे। मनोरोग विशेषज्ञ और पैथोलॉजी विशेषज्ञ के लिए आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष है। क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मनोरोग के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है।

यूजीसी नेट के लिए 7 मई तक लिए जाएंगे आवेदन

यूजीसी नेट जून 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क 8 मई तक जमा किए जा सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 21 जून से 30 जून 2025 के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग 1150 रुपए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 600 रुपए। एससी, एसटी के लिए 325 रुपए है। हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र जैसे 85 विषयों के लिए यह परीक्षा होगी। देश के करीब 285 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आवेदन को लेकर विस्तृत जानकारी यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जारी की गई है।

CSIR-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज में भर्ती

CSIR-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) ने 26 पदों पर भर्ती निकाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जूनियर स्टेनोग्राफरः 25,500 – 81,100 रुपए प्रतिमाह, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंटः 19,900 – 63,200 रुपए प्रतिमाह तक है। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार www.nal.res.in पर आवेदन कर सकते हैं।

रोजगार और नियोजन का एप लॉन्च

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिनेश मिरानिया को दी अंतिम विदाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में आतंकी हमले में रायपुर निवासी श्री दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया और अंतिम यात्रा में कंधा देकर अंतिम विदाई दी। राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ है। उन्होंने परिजनों से भेंट कर संवेदना प्रकट की और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

UPSC में चयनित छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2024 में सफलता प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी चयनित युवाओं ने न केवल अपने परिजनों, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह सफलता आपकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी युवा साथी पूरी ईमानदारी एवं तन्मयता से कार्य करते हुए जनता की सेवा करेंगे और देश-प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज विशेष रूप से पूर्वा अग्रवाल जिन्होंने 65वां रैंक प्राप्त किया है,से दूरभाष पर संवाद कर उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने उनके दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूर्ण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में 86 मोबाइल यूनिट्स की मदद से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री ने पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक में सरगुजा में मुख्य अभियंता कार्यालय खोलने, जल जीवन मिशन की प्रगति तेज करने तथा जल संरक्षण अभियान "कैच द रेन" को व्यापक प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए त्वरित और दीर्घकालिक योजनाएँ बनाने पर जोर दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा जिले के नवापारा, परसा, भफौली और दरिमा के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से सीधे बात कर सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। नवापारा में कीमोथेरेपी, सिकलसेल व टीकाकरण केंद्रों की सराहना की। परसा में संस्थागत प्रसव बढ़ाने और आवश्यक निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। श्री जायसवाल ने चंदन का पौधा भी लगाया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है।

सुडा द्वारा तीन कार्यों के लिए 5.35 करोड़ रुपए मंजूर

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने लोरमी नगर पालिका में तीन कार्यों के लिए पांच करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा अपने लोरमी प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं को पूर्ण करने सुडा द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है। राशि स्वीकृति के संबंध में सुडा द्वारा लोरमी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है। सुडा द्वारा लोरमी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-13 में बाबा घाट के पास मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ 83 लाख दो हजार रुपए, नगर पालिका कार्यालय के पास उद्यान निर्माण के लिए एक करोड़ 81 लाख 97 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-3 ब्राम्हणपारा में मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ 70 लाख दस हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

वाणिज्य मंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों से किया संवाद

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को इस्पात उत्पादन और औद्योगिक निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ गंतव्य बताया। मंत्री श्री देवांगन ने इस्पात क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति, पारदर्शिता और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी और देश-विदेश के निवेशकों से राज्य के औद्योगिक विकास में साझेदार बनने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 240 ई-बसें, तकनीकी प्रशिक्षण संपन्न

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार शहरों—रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा—में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर योजना के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। नया रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित प्रशिक्षण में केन्द्रीय मंत्रालय के विशेषज्ञों ने ई-बस संचालन, अनुबंध प्रक्रिया, भुगतान व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर जानकारी दी। रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई व बिलासपुर में 50-50 और कोरबा में 40 ई-बसें चलेंगी। बस डिपो और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 67.40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। अधिकारियों ने योजना को शहरी परिवहन का भविष्य बताया और प्रदूषण नियंत्रण में इसे अहम कदम माना।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात की आवश्यकता बताते हुए एआई व नई तकनीकों से खराब सड़कों की पहचान और मरम्मत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये के सड़क विकास कार्य पूरे किए जाएं। रायपुर-विजाग एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाले कनेक्टिंग रोड्स की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। बस्तर सहित वनांचलों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि नया विधानसभा भवन 95% पूर्ण है और सड़क सुरक्षा के लिए 106 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रायपुर में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ, महिलाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने चंगोराभाठा, रायपुर में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा संचालित इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। श्री साव ने कहा कि यहां प्रशिक्षित महिलाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगी। उन्होंने प्रदेशभर में ऐसे केंद्र शुरू करने की बात भी कही। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि गरीब महिलाओं की मांग पर यह केंद्र शुरू हुआ है। प्रशिक्षण से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।

राष्ट्रीय

स्पैडेक्स मिशनः इसरो ने की दूसरी बार दो उपग्रहों की सफल डॉकिंग

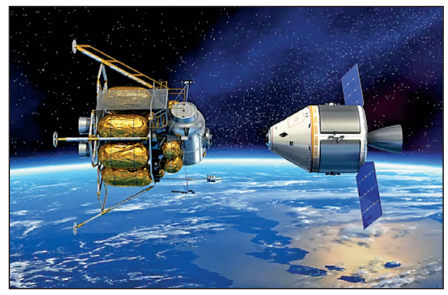

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने स्पैडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अगले दो हफ्तों में आगे के प्रयोगों की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में लिखा, पीएसएलवी-सी60/स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पैडेक्स) मिशन को 30 दिसंबर, 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद उपग्रहों को पहली बार 16 जनवरी को सफलतापूर्वक डॉक किया गया और 13 मार्च को सफलतापूर्वक अनडॉक किया गया।

डीआरडीओ ने तैयार की ड्रोन को राख करने की टेक्नोलॉजी

भारत ने एक शक्तिशाली लेजर हथियार के सफल परीक्षण का दावा किया है। यह हथियार छोटी मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षण के बाद भारत चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जिनके पास आधुनिकतम लेजर हथियार हैं। इस परीक्षण में ट्रक पर लगे 30 किलोवाट के लेजर बीम से साढ़े तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक 'फिक्स्ड विंग ड्रोन' को मार गिराया गया।

यूपीएससी नतीजे : प्रयागराज की शक्ति अव्वल

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा-2024 में बेटियों ने कमाल कर दिखाया। जारी परिणामों में शीर्ष पांच में तीन बेटियां हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, हरियाणा के हिसार की मूल निवासी व बड़ौदा में पली-बढ़ी हर्षिता गोयल को दूसरी, अहमदाबाद की शाह मार्गी चिराग को चौथी रैंक हासिल हुई की है।

ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं महत्वपूर्ण सिफारिशें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने महत्वपूर्ण इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स सेवाओं-आईओटी, के वर्गीकरण के लिए मंत्रालयों और विनियामक निकायों की सहायता के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। ट्राई ने संचार विभाग को अपनी सिफारिशों में महत्वपूर्ण आईओटी सेवाओं के वर्गीकरण का उल्लेख किया है। किसी सेवा को केवल तभी महत्वपूर्ण इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब वह एक विशेष द्विन टेस्ट पास कर ले। अन्य सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एक फोन-पे से अब पांच लोग करें ट्रांजैक्शन, खाता होना जरूरी नहीं

फोन पे ने एक नया और उपयोगी फीचर 'यूपीआई सर्कल' लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए आप अपने परिवार या दोस्तों को अपने यूपीआई अकाउंट से पेमेंट करने की सुविधा दे सकते हैं- चाहे उनके पास खुद का बैंक अकाउंट हो या नहीं। यह सुविधा फोन पे ऐप पर बेहद आसानी से उपलब्ध है और खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अभी बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। यह फीचर आपको अपने यूपीआई अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति (जिसे सेकेंडरी यूजर कहा जाता है) को सीमित सीमा तक पेमेंट करने की अनुमति देता है। सेकेंडरी यूजर आपके खाते से एक निर्धारित राशि तक ट्रांजैक्शन कर सकता है और इसके लिए दो तरह के डेलीगेशन विकल्प उपलब्ध हैं।

सैन्य अस्पताल ने किया सोल्जरथॉन का आयोजन

सेना के नई दिल्ली स्थित रिसर्च एंड रेफरल (आर एंड आर) अस्पताल ने पहली सोल्जरथॉन (रन फॉर सोल्जर्स और रन विद सोल्जर्स) का आयोजन किया। जिसमें 5 हजार से अधिक धावकों ने एक साथ भाग लिया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन सुरक्षा बलों के बहादुर नायकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जिसमें पूर्व सैनिकों, जवानों, आम नागरिकों, छात्रों ने मिलकर भाग लिया। तीन श्रेणियों 10, 5 और 3 किलोमीटर में इस दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), नौसेनाध्यक्ष, उप सेनाध्यक्ष, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के डीजी, दिल्ली क्षेत्र के जीओसी व अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

चंद्रयान मिशन की बड़ी खोज के बाद वैज्ञानिकों के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता

भारत के चंद्रयान मिशन के दौरान चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी। इसके साथ ही दशकों से आ रही सबसे बड़ी खोज का अंत हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब पता लगा लिया है कि आखिर चंद्रमा के ऊपर पानी कहां से आया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाले रिसर्चर्स ने पुष्टि की है सूरज से आने वाली रोशनी और सौर हवा-पानी के निर्माण की सबसे बड़ी स्रोत है। इस खोज के बाद से दशकों से आ रही सबसे बड़ी खोज का समाधान हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है।

आरबीआई का आदेशः सभी बैंक डोमेन.bank.in करें

रिजर्व बैंक ने देश के सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों से कहा है कि वे अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट का डोमेन बदलकर .bank.in करें। इसके लिए बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है। डिजिटल फ्रॉड और फेक बैंकिंग वेबसाइट्स के बढ़ते मामलों के चलते यह कदम उठाया गया है।

10 लाख से अधिक के लग्जरी प्रोडक्ट पर एक फीसदी टीसीएस

आप दस लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाला हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और स्पोर्ट्सवियर (खेल-कूद के दौरान पहनने वाले उत्पाद) जैसे लग्जरी सामान खरीदते हैं तो आपको एक प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने बजट के दौरान लग्जरी (विलासिता वाली) वस्तुओं के लिए वित्त अधिनियम, 2024 के तहत टीसीएस प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव दिया था। इसे लागू कर दिया गया है। अधिसूचना में बताया गया कि दुकानदार 10 लाख से अधिक की खरीद पर ग्राहक से 1% टैक्स वसूल करेगा। ग्राहक की ओर से टीसीएस देने के बाद इसे खरीदार के पैन नंबर में जमा करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। वहीं खरीदार इसका उपयोग टैक्स क्रेडिट का दावा करने और आइटीआर फाइलिंग में कम टैक्स चुकाने के लिए कर सकता है। अगर टैक्स देनदारी टीसीएस राशि से कम है, तो आइटीआर में रिफंड का दावा किया जा सकेगा।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

अंतरराष्ट्रीय

सिंधु जल संधि स्थगित, अटारी चौकी बंद, पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार

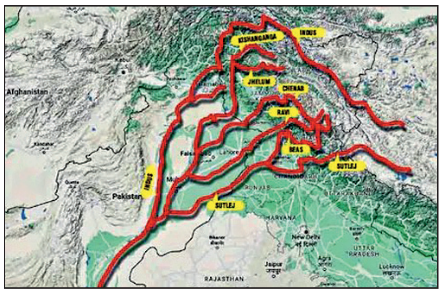

पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा कैबिनेट समिति की आपात बैठक कर कई कड़े फैसले लिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को एकतरफा स्थगित कर दिया है। दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है और रक्षा सेवाओं के पद समाप्त कर दिए गए हैं। अटारी-वाघा सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा पर भारत आने की अनुमति नहीं होगी और पहले से आए लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

40 साल में पहली बार भारतीय पीएम पहुंचे जेद्दा, जमीं से आसमां तक स्वागत

राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक स्थानीय अरब नागरिक ने भारतीय गीत 'ऐ वतन.. मेरे वतन.. ऐ वतन.. आबाद रहे तू' गाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी अगवानी में मौजूद रहे। एयरपोर्ट से बाहर आने पर मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन इससे भी पहले आसमान में ही पीएम मोदी की अगवानी के लिए सऊदी रॉयल एयरफोर्स के एफ-15 लड़ाकू विमानों ने पीएम को हवाई एस्कॉर्ट देते हुए विशेष सम्मान का प्रदर्शन किया। यह रेड कार्पेट वेलकम से कहीं बढ़चढ़कर और अप्रत्याशित था। सऊदी की आर्थिक राजधानी जेद्दा जाने वाले पीएम मोदी 40 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पूर्व 1982 में इंदिरा गांधी जेद्दा गई थीं।

इंस्टाग्राम पर अब एआई करेगा बच्चों की उम्र की निगरानी

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। कई देशों में उम्र सत्यापन के लिए नए कानून की कवायद हो रही है। हालांकि मेटा और अन्य कंपनियां चाहती है कि उम्र सत्यापन की जिम्मेदारी ऐप स्टोर पर डाली जाए। इन चुनौतियों के बीच मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया कदम उठाया गया है। अब इंस्टाग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए पता लगाएगा कि किशोर अपनी उम्र के बारे में सही जानकारी दे रहे है या नहीं। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि टीनएजर्स इंस्टाग्राम पर किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं।

फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के दूसरे बैच की आपूर्ति जल्द

फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा कि भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के दूसरे बैच की आपूर्ति जल्द ही की जाएगी। इससे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस की तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों को तीन बैच में खरीदने के लिए मनीला ने 2022 में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ की गई 375 मिलियन डॉलर की डील के तहत सहमति जताई थी। पहला बैच अप्रैल 2024 में पहुंचा था। ब्रह्मोस की रेंज 290 किमी. (180 मील) है और इसे जमीन, समुद्र और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। यह मिसाइल प्रणाली फिलीपींन सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। दूसरी मिसाइल बैटरी की डिलीवरी ऐसे समय में हो रही है जब मनीला और बीजिंग के बीच कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी दक्षिण चीन सागर में लगातार झड़पों के कारण तनावपूर्ण हैं। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता आ रहा है।

पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की मुलाकात, व्यापार और रक्षा पर चर्चा

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने 500 अरब डॉलर की प्रस्तावित ट्रेड डील, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने 'विकसित भारत 2047' की रणनीति साझा करते हुए बताया कि जनवरी में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ हुई बैठक से द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हुए हैं। वेंस की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की नई कड़ी माना जा रहा है। जल्द ही एक व्यापक व्यापार समझौता होने की उम्मीद जताई गई है।

नासा ने मंगल पर खोजी सोने की चट्टान

नासा का पर्सवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर लगातार चौकाने वाले खुलासे कर रहा है। इस बार उसे वहां ढेर सारी अलग-अलग चट्टानें मिली हैं, जो मंगल के पुराने दिनों की कहानी बता रही हैं। ये रोवर जेजेरो क्रेटर नाम की जगह पर घूम रहा है, जो बहुत पहले झील हुआ करती थी, लेकिन अब सूखी है। पिछले दिसंबर से रोवर एक ऊंची ढलान पर काम कर रहा है, जिसे विच हेजल हिल कहते हैं। ये ढलान मंगल के उस समय के राज खोल सकती है , जब वहां का मौसम बिल्कुल अलग था।

अमेरिका में 44% किशोरों ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल घटाया

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे अमेरिकी नाबालिगों का मानना है कि सोशल मीडिया का उनकी उम्र के लोगों पर ज्यादातर नकारात्मक असर पड़ रहा है। 44% नाबालिगों ने माना कि उन्होंने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम कर दिया है। 13 से 17 साल के 1391 नाबालिग और उनके परिवार से सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच किए गए सर्वे के अनुसार, 48% नाबालिगों ने कहा कि सोशल मीडिया का असर उनकी उम्र के लोगों पर नकारात्मक है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 32% था। वहीं 11% नाबालिगों ने सोशल मीडिया को सकारात्मक बताया। खुद पर असर को लेकर 14% नाबालिगों ने माना कि सोशल मीडिया का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ है, जो 2022 में 9% था। 45% नाबालिगों ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने परिवार संग किया ताज महल का दीदार

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने सपरिवार आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने इसे अद्भुत बताया। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, वेंस ने ताजमहल का भ्रमण करने के बाद आगंतुक डायरी में लिखा, ताजमहल सच्चे प्रेम, मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है और भारत जैसे महान देश की एक लाजवाब कृति है। यह अद्भुत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के परिवार ने आगरा में करीब तीन घंटे बिताए।

पोप फ्रांसिस का निधन, भारत में तीन का राजकीय शोक

पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल, 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर सुबह 7.30 बजे (स्थानीय समयानुसार) अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते दिन ईस्टर के अवसर पर लंबे समय के बाद वे लोगों के सामने आए थे। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।

खेल / कला

ओस्तापेंको 8 साल बाद क्ले कोर्ट पर बनीं चैंपियन

लात्विया की येलेना ओस्तापेंको ने शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। 2017 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली ओस्तापेंको ने आठ साल के लंबे अंतराल के बाद क्ले कोर्ट पर अपना पहला खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में गैर वरीय खिलाड़ी ओस्तापेंको ने शीर्ष वरीय सबालेका को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से हराया। लात्वियाई खिलाड़ी ओस्तापेंको की विश्व नंबर एक सबालेंका के खिलाफ यह पहली जीत है।

रुद्रांक्ष-आर्या की जोड़ी ने जीता रजत पदक

रुद्रांक्ष पाटिल और आर्या बोरसे की भारतीय जोड़ी ने आइएसएसएफ विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। रुद्रांक्ष और आर्या की जोड़ी को फाइनल में नॉर्वे के जोन हरमान हेग व जीनेट हेग ड्यस्टैड से 11-17 से हार का सामना करना पड़ा। लीमा विश्व कप में यह भारत का तीसरा रजत पदक था, जिसमें दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में वह चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर पर है।

विश्व कप में सात पदक जीत कर तीसरे स्थान पर भारत

आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पृथ्वीराज टोंडिमान और प्रगति दुबे की भारतीय जोड़ी ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा के पदक दौर में पहुंचने में असफल रही। सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत को अंतिम पदक दिलाया। इससे देश के पदकों की संख्या सात हो गई, जिसमें दो स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य शामिल हैं। अमेरिका अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण वह भारत से आगे दूसरे स्थान पर रहा।

बुमराह और मंधाना बने 'विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर'

भारतीय क्रिकेट को एक और गर्व का क्षण मिला है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 में साल के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया गया है। वहीं वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को टी-20 क्रिकेट का लीडिंग प्लेयर घोषित किया गया है। 'विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड की शुरुआत 1889 में हुई थी

एथलेटिक्सः नेशनल बोर्ड्स में 40% महिलाएं अनिवार्य

वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहा कि साल 2029 तक दुनिया के सभी नेशनल ट्रैक एंड फील्ड फेडरेशंस के कार्यकारी बोर्ड में कम से कम 40% महिलाएं होनी चाहिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने कहा, 'हम जानते हैं कि एथलेटिक्स में अधिक महिला कोच, रेफरी और एडमिनिस्ट्रेटर को लाने में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन हम खेल में स्थाई बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी नहीं, बल्कि नेतृत्व में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना है।'

डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लब विश्व कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया

2026 फीफा विश्व कप तेजी से नजदीक आ रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहा है। 2022 में कतर में अर्जेंटीना द्वारा जीते गए पिछले फीफा विश्व कप के बाद, अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगा। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 विश्व कप की तैयारी में व्यस्त है, दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति ने हाल ही में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की और फीफा क्लब विश्व कप के लिए ट्रॉफी का अनावरण किया जो 2025 में यूएसए में भी होगा।

सिमरनप्रीत कौर बरार ने जीता रजत

भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक जीता है। पेरु के लीमा में सिमरनप्रीत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की सुन यूजी ने जीता। यूजी का यह लगातार दूसरा विश्व कप स्वर्ण पदक है। चीन की ही याओ क्विआन सुन ने कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलिम्पिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर चौथे स्थान पर रही।

गीता, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र यूनेस्को के 'मेमोरी रजिस्टर' में

यूनेस्को ने विश्व धरोहर दिवस पर श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया है। यह दुनिया की महत्वपूर्ण धरोहरों का दस्तावेज है। अब तक भारत की कुल 14 दस्तावेजी धरोहरें इस रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, 'यह हमारी सनातन बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है।' यूनेस्को के रजिस्टर में इस बार 72 देशों और 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कुल 74 नई धरोहरें को जोड़ा गया है।

अंडर-18 एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड

एशियन अंडर-18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत के हिमांशु जाखड़ ने जैवलिन थ्रो में 67.57 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला भाला फेंक गोल्ड रहा। 17 साल के हिमांशु ने चीन के लू हाओ (63.45 मीटर) और उज्बेकिस्तान के रुसलान (61.96 मीटर) को पीछे छोड़ा। हालांकि, हिमांशु का पर्सनल बेस्ट थ्रो 74.56 मीटर है, जो उन्होंने नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप में बनाया था। भारत ने चैम्पियनशिप में 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 11 मेडल जीते।

महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर रही डब्लूपीएल

भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पिछले छह साल में महिला क्रिकेट के लिए काफी काम किया है। पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर शुरू हुई महिला प्रीमियर लीग निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को सशक्त कर रही है। मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डब्लूपीएल खिताब अपनी झोली में डाला था जो आरसीबी की कैबिनेट में एकमात्र ट्रॉफी है। अभी डब्ल्यूपीएल के तीन चरण ही खेले गए हैं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2025/परीक्षा/दिनांक 22/04/2025 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 30/04/2025

::विज्ञापन::

मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर मनोरोग (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28/04/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/04/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/05/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/05/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 02/06/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास में सुधार कर "नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास/मूल निवास में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अंतर्गत **विभिन्न पदों** पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**मनोरोग विशेषज्ञ (बैकलॉग)**	-	1	3	2	-	-	-	-	-	06	67300 (स्तर-13)
2	**पैथोलॉजी विशेषज्ञ (बैकलॉग)**	-	-	-	1	-	-	-	-	-	01	
3	**क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट**	5	1	4	2	1	-	1	-	-	12	56100 (स्तर-12)
4	**काउंसलर मनोरोग**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	02	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA,OL) ही मान्य होंगे।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'दो' में उल्लेखित है।
5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2.A) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** मनोरोग विशेषज्ञ

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-13

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि
(मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो)

(ख) अभ्यर्थी के डिग्री/डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.B) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** पैथोलॉजी विशेषज्ञ

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-13

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि
(मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो)

(ख) अभ्यर्थी के डिग्री/डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.C) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-12

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) क्लीनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता।

(2.D) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** काउंसलर मनोरोग

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-12

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता।

(3) **परिवीक्षा अवधि:-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) **पृथक-पृथक पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।**

क्रमशः

(4) निर्धारित आयु सीमाः-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01.2025** को **मनोरोग विशेषज्ञ एवं पैथोलॉजिस्ट विशेषज्ञ** पद हेतु 25 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो एवं **क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर मनोरोग** पद हेतु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः- ''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

क्रमशः

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र:-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र।

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन:-**

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

क्रमशः

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता**:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(10) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-
(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
(ii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा।
(iii) **परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।**
(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।
नोट:- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।
(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।** सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

क्रमशः

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) **परीक्षा के संबंध में:-** (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) ***अत्यन्त महत्वपूर्ण:-***

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।

(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

(15) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोट:- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सत्त अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात **40 प्रतिशत से अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के.......................... (जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात **40 प्रतिशत से अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के.......................... (जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -----------------------------

विषयः- आयोग द्वारा आयोजित -------------------------------- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

---00---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं -------------------------------------- पिता श्री -- आयोग द्वारा आयोजित ---------------- परीक्षा दिनांक -------------------- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (------ प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री -------------------------------पिता श्री -------------------------------- को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ---------------------------------- पिता श्री -------------------------------- को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ---------------------------------

अभ्यर्थी का नाम -------------------------------------

अभ्यर्थी का ई-मेल -----------------------------------

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ---------------------------

क्रमशः

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम .... वर्ष...
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) ....
3. परीक्षा का दिन व समय ....
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम ....
5. अभ्यर्थी का नाम ....
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक ....
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम ....
8. सह लेखक का नाम ....
9. सह लेखक के पिता का नाम ....
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

स्व-घोषणा पत्र

मैं .... निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता .... है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ अगुंठे का निशान	केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व केंद्र की सील

क्रमशः

परिशिष्ट-एक

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-**

- **(i)** प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
- **(ii)** ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- **(iii)** पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

- **(i)** आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- **(ii)** जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- **(iii)** किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- **(iv)** कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- **(v)** ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

~~~~~~~~~~

आर.ओ.23/जी-252600433/5
~~~~~~~~~~

प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/01891/स्था./प्र.अ./ लोस्वायांवि/ 2025 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/04/2025**

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ 2-1/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1210/सी.एन. बजट-2/ वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी अनुरेखक के 37 पद एवं केमिस्ट के 12 पद तथा छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-2/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1211/सी.एन. बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी हैण्डपंप तकनीशियन के 50 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों को सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते है, परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की Website vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	विहित शैक्षणिक योग्यता
अनुरेखक	लेवल-4, वेतन 19500-62000	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	37	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. से ड्राफ्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा रज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।
केमिस्ट	लेवल-7. वेतन 28700-91300	तृतीय श्रेणी	12	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिये।
हैण्डपंप तकनीशियन	लेवल-5 वेतन 22400-71200	तृतीय श्रेणी	50	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से फीटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड या मोटर मेकेनिकल ट्रेड, ट्रेक्टर मेकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मेकेनिक ट्रेड, मशीनिष्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यकम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिये। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जायेगी।

टीपः-

1. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट www.cgphed.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रानपुर के परिपत्र कमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।
3. परीक्षा के नियम एवं शर्तें पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

आर.ओ.24/जी-252600479.5

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट

बिलासपुर (चकरभाठा)

-: निविदा सूचना :-

पृ०कमांक/119 / निविदा/बि०दे०के०/ बिलासपुर (चकरभाठा) दिनांक 19.04.2025

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा) में कर्मियों की आपूर्ति हेतु 02 ड्राईवर कम ऑपरेटर (कुशल) 12 माह के अस्थायी रूप से संचालन हेतु निविदा निर्धारित प्रारूप एवं शर्तों के अधीन निविदा दिनांक 21.04.2025 समय दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित किया गया है इच्छुक फर्म / संस्था निर्धारित प्रारूप के साथ 500/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासपुर के नाम से बंद लिफाफा में अधेहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से दोपहर 02:00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) जमा कर सकते है।

निर्धारित प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें बिलासपुर जिले के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 05.05.2025 को 02:00 बजे अपरान्ह तक निविदा खोलने की तिथिः 05.05.2025 को सायं 03:00 बजे

स्थान :- बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा)

एयरपोर्ट डायरेक्टर
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट,
बिलासपुर (चकरभाठा)

आर.ओ.25/जी-252600380.3

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ०ग०)

E-mail- cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website- www.cgslsa.gov.in

F.N./ 1062/II-16-01/2007 **Bilaspur Date-16/04/2025**

स्थाई लोक अदालत (जनोंपयोगी सेवा) में

अन्य व्यक्ति (सदस्यो) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, एवं सरगुजा, (अम्बिकापुर) में स्थापित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में अन्य व्यक्तियों (सदस्यों) के नियुक्ति के लिये रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 12.05.2025 के शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैः-

विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट www.cgslsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है।

टीपः- आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में निम्न पते पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैः-

पताः- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर (छ०ग०)

सदस्य सचिव
छ.ग.रा.वि.सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

आर.ओ.26/जी-252600391.3

कार्यालय उप संचालक कृषि
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
Email ID: ddagariaband@gmail.com

क्र./NMEO-OS/VCP / विज्ञापन/ 2025-26/295 गरियाबंद, दिनांक : 21/4/2025

Value Chain Partner (VCP) के चयन हेतु विज्ञापन

विषयान्तर्गत नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल ऑयल सीड्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी योजना के गाइडलाईन अनुसार जिले में Value Chain Partner (VCP) का चयन किया जाना प्रस्तावित है। Value Chain Cluster Formation हेतु मुख्य तिलहन फसलों सोयाबीन, मूंगफली व सरसों के लिए न्यूनतम 500 हे. एवं अन्य तिलहन फसलों तिल, सूर्यमुखी, रामतिल और कुसुम के लिए न्यूनतम 200 हे. मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्धारण किया गया है। जिसमें आवंटित लक्ष्यानुसार कृषकों को बीज वितरण का कार्य जिले में चयनित Value Chain Partner (VCP) के द्वारा किया जाना है। Value Chain Partner (VCP) का चयन District Executive Committee (DEC) के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित Score matrix के आधार पर किया जावेगा। अतः Value Chain Partner (VCP) के चयन हेतु फार्मर प्रोड्सर कंपनी लिमिटेड, बीज उत्पादक सहकारी समितियों एवं Public/ Private Sector के मापदंड हेतु योजना के दिशा निर्देशिका के पृष्ठ कमांक 13 एवं 14 के बिंदु कमांक 4.2 एवं 4.3 में उल्लेखित मापदंड संलग्न है।

आवश्यक दस्तावेजः-
1. आवेदन पत्र।
2. कंपनी अधिनियम या सहकारी अधिनियम अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
4. FPO/समिति में पंजीकृत किसान / सदस्यों की सूची।
5. विगत 3 वर्षों का ITR File एवं Equity Certificate तथा वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
6. तिलहन क्षेत्र में उद्योग एवं बाजार से जुड़े होने संबंधी अभिलेख यथा वीज अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।

VCP हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 21.04.2025 से 11.05.2025 समय सायं 05:30 बजे तक।
VCP आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13.05.2025 समय सायं 05:30 बजे तक।
VCP के चयन हेतु कार्यवाही की तिथि	दिनांक 15.05.2025

नोट :- विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी जिला गरियाबंद के वेबसाइट www.gariaband.gov.in तथा कार्यालय उप संचालक कृषि जिला-गरियाबंद के सूचना पटल में प्रदर्शित है।
(कलेक्टर सह अध्यक्ष DEC जिला-गरियाबंद द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक कृषि
जिला-गरियबांद (छ.ग.)

आर.ओ.27/जी-252600395.4

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

:: शुद्धि-पत्र ::

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3323162/छ.ग./2023/3163 दिनांक 08.04.2025 द्वारा उपअभियंता (सिविल) बैकलॉग के 08, उपअभियंता (सिविल) नियमित के 97, उपअभियंता (वि./यां.) बैकलॉग के 07 एवं उपअभियंता (वि./ यां.) नियमित के 09 रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है, के कालम 15 में अंकित HH (Hearing Impairment) के स्थान पर HH (Hard of Hearing) प्रतिस्थापित किया जाता है।
विज्ञापन का शेष विवरण, नियम, शर्तें / कंडिका यथावत् रहेगा।

नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता,
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.28/जी-252600478/6

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पुराना जिला चिकित्सालय भवन
जिला राजनांदगाँव (छ.ग)
Email-cmho-rjn.cg@gov.in, Ph. 07744-224084

क्रमांक /स्था./ सीधी भर्ती/2025/2845 राजनांदगांव दिनांक : 22/04/2025

।। ड्रेसर ग्रेड-2 पद के चयन सह प्रतीक्षा सूची एवं षष्ठम दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन हेतु सूचना ।।

ड्रेसर ग्रेड-2, के नियमित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने हेतु आनलॉईन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन अनुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद हेतु चयन सह प्रतीक्षा सूची एवं षष्ठम दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाईट https://cghealth.nic.in में किया जा रहा है। अतः सर्व संबंधित अभ्यार्थी उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आर.ओ.29/जी-252600446.4

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ०ग०)

1458 क्रमांक- दो-16-1/2024 महासमुन्द, दिनांक 24.04.2025

// सूचना //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द (छ०ग०) के अन्तर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी), सहायक ग्रेड-3 के समक्षक पद के प्रवर्गवार पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु दावा आपत्ति का निराकरण पश्चात कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, प्रवेश पत्र तथा परीक्षा कार्यकम की जानकारी जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाइट https://mahasamund.dcourts.gov.in/ पर अपलोड कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। पृथक से किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

आर.ओ.30/जी-252600497.4

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

क्रमांक 7939/दो-14-1/2024 बिलासपुर, दिनांक 25/04/2025
Adv. No. 02/2024(Staff Car Driver)

// सूचना //

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में स्टाफ कार ड्राईवर के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच पश्चात् पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची (provisional list) तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों (निरस्त किये गये आवेदन पत्र) की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।

उक्त पद हेतु पात्र/अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों को यदि कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 02/05/2025 को सायं 05.00 बजे तक अपना दावा-आपत्ति प्रेषित कर सकते है।

विस्तृत जानकारी/सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट https://highcourt.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

(के. विनोद कुजूर)
रजिस्ट्रार जनरल

आर.ओ.31/जी-252600512.5

कार्यालय अधिष्ठाता

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail deanmedicalcollege surguja@gmail.com

क्र./2059/शा.चि.म./स्था./2025 अम्बिकापुर, दिनाँक 04.04-2005

Advertisement for Walk-In-Interview

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांकः एफ 3-53/2012/नौ/55-4 नया रायपुर, दिनांक 27/05/2016 के अनुपालन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर हेतु स्वीकृत, रिक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/रेसीडेंट चिकित्सको/ट्यूटर/प्रदर्शक/अधिकारियों के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु संस्था हित, मरीज़ हित व जनहित में, शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सायं 04:00 से वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है।

इस संस्था के विभिन्न विभागों आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक/गैर-चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड की अहर्ता (अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। इच्छुक उम्मीद्वार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकते हैं।

रिक्त पदों की जानकारी एवं वॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होने संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एकमुस्त पुनरीक्षित संविदा वेतन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांकः एफ 3-76/2024/55 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2024 के तहत् अनुसूचित क्षेत्र हेतु प्रदाय पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं कलेक्टर, जिला-सरगुजा छ.ग. द्वारा देय जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता विवरण पदवार निम्नानुसार देय हैः-

क्र.	पदनाम	शासकीय संविदा वेतन	स्वशासी मद से वेतन	जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता	कुल समेकेतिक वेतन (संविदा वेतन + स्वशासी मद से वेतन + DMF प्रोत्साहन भत्ता)
1	Professor	2,25,000/-	-	60,000/-	2,85,000/-
2	Associate Professor	1,85,000/-	-	40,000/-	2,25,000/-
3	Assistant Professor	1,25,000/-	-	30,000/-	1,55,000/-
4	Senior Resident	95,000/-	-	-	95,000/-
5	Demonstrator(PG)	95,000/-	-	-	95,000/-
6	Casualty Medical Officer	50,000/-	50,000/-	20,000/-	1,20,000/-
7	Junior Resident	30,000/-	33,000/-	-	63,000/-
8	Tutor	30,000/-	23,000/-	-	53,000/-

संविदा भर्ती हेतु उम्मीद्वरों के लिए आवश्यक निर्देश

1. संस्था में रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/चिकित्सक वर्ग के पदों हेतु शैक्षणिक अहर्त्ता, आवश्यक अनुभव एवं आयु-सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश मापदण्ड अनुरूप ही मान्य होंगे।
2. संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम, ज्यादा अथवा विलोपित किये जा सकेगें, जिस पर उम्मीदवारों की कोई दावा स्वीकार नहीं होगी, मान्य नहीं होगी।
3. इच्छुक उम्मीद्वार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर (MBBS/BDS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) दस्तावेजों एवं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में पूर्व से नियुक्त उम्मीद्वार अपने नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, संनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति के साथ 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ संस्था के स्थापना कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। उपरोक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी स्वयमेव अपात्र माने जायेंगे।
4. संविदा भर्ती हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में स्क्रूटनी का कार्य प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् उपस्थित होने वाले उम्मीद्वारों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. शासकीय सेवा निवृत्त अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त उम्मीद्वार छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि वर्क रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
7. पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं अन्य विशेष वेतन प्रतिमाह है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टी.डी.एस. तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार अन्य कटौतिया किये जायेंगे।
8. संस्था हेतु स्वीकृत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक का पद पदोन्नति पद है एवं सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रर्दशक ट्यूटर का पद सीधी भर्ती पद हैं, जिसके पदोन्नति / सीधी भर्ती की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कैलेण्डर वर्ष में प्रक्रियाधीन रहती है। अतः उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से करने पर संविदा सेवा नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अनुपालन में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक अथवा शासन द्वारा इस पद पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अथवा आरक्षित संवर्ग के उपर्युक्त उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये किये जायेंगे।
9. संविदा नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय राज्य स्तर के किसी न्यायालय में दायर याचिका अथवा भविष्य में दायर होने वाले याचिका निर्णय में पारित आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
10. अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

Chhattisgarh Grameen Aajeevika Samvardhan Samiti

(CGSRLM-Bihan) (Under the aegis of Panchayat & Rural Development Department, Govt. Of Chhattisgarh)
2nd Floor, Vikas Bhawan, Sector 19, North Block, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh -492001
Phone No. 0771-2512395, 2960615
Email- mdcgsrlm@gmail.com, Website- www.bihan.gov.in

No.-CGSRLM/Proc./DDUGKY/STSA/RFP-001/2025-26 Dated: 14/04/2025

Request for Proposal

For Hiring Services of State Technical Support Agency (STSA) for Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojna (DDUGKY) under Chhattisgarh Grameen Aaajeevika Samvardhan Samiti (CGSRLM-Bihan)

Chhattisgarh Grameen Aajeevika Samvardhan Samiti (CGSR LM- Bihan) invites Proposals from eligible registered agencies/organi zations for selection of ₹State Technical Support Agency (STSA) un der Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojna (DDUGKY)₹ in Chhattisgarh.

Interested agencies/organizations may submit their proposals in a sealed envelope clearly superscripted as ₹Proposal for DDUGKY STSA under CGSRLM₹ on or before 15th May, 2025 up to 15.00 hours. Agen cies/ organizations may obtain further information and procedures for submitting the proposal from official website of CGSRLM-www.bihan.gov.in/procurement.

Mission Director, CGSRLM
Nava Raipur Atal Nagar (CG)

प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य
प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य
जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य
कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य
लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य
सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस
सुशासन से समृद्धि की ओर
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
ChhattisgarhCMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो